विधान परिषद के द्वितीय सत्र 2023 के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित श्री भीमराव अम्बेडकर, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-15 का उत्तर।

प्रश्न	उत्तर
15 (क) क्या जल शक्ति मंत्री बतायेंगे कि विधायक धौरहरा विनोद शंकर अवस्थी द्वारा दिनांक 02.12.2022 को मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र भेजा गया था, प्राप्त हुआ है?	जी हाँ,
(ख) यदि हाँ, तो उक्त महत्वपूर्ण बिन्दुओं में कान्ट्रेक्टरों का सिंचाई विभाग से बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के भुगतान के सम्बन्ध में था, पर की गयी कार्यवाही का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे?	श्री विनोद शंकर अवस्थी, मा0 विधायक धौरहरा, के पत्र दिनांक 02.12.2022 द्वारा शिशुपाल, कान्ट्रैक्टर, निवासी ग्राम व पोस्ट ऐरा, वारिदहाल मो0-नौरंगाबाद, लखीमपुर-खीरी को वर्ष 2009-10 में बाढ़ खण्ड शारदा नगर, लखीमपुर-खीरी में किये गये कार्य के भुगतान किये जाने हेतु बजट आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक है। प्रश्नगत प्रकरण का परीक्षण अधिशासी अभियन्ता, बाढ़ खण्ड लखीमपुर खीरी द्वारा किया गया, जिसके अनुसार मात्र रू0 1,69,892.00 के कार्य स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार नियमानुसार कराये गये पाये गये हैं एवं जिसका भुगतान किया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त कार्यादेशों लागत रू0 11,40,377.00 बिना वित्तीय स्वीकृति एवं बिना प्राक्कलन स्वीकृति के निर्गत किये गये थे, जो समस्त कार्यादेश नियम विरूद्ध व संदिग्ध होने के कारण भुगतान योग्य नहीं पाये गये। प्रश्नगत उक्त भुगतान हेतु मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ में रिट याचिका संख्या-5571/एम0बी0/2018 शिशुपाल गौतम बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी थी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.07.2019 को खारिज कर दिया गया। तदोपरान्त याची द्वारा Civil Misc. Arbitration

Scanned with OKEN Scanner

Application (ARBT)-63/2019 भी योजित की गयी, जिसे मा0 उच्च न्यायालय द्वारा 05.07.2022 को खारिज कर दिया गया।

(ग) यदि नहीं, तो क्यों?

उपरोक्तानुसार।

(स्वतंत्र देव सिंह)
मंत्री
जल शक्ति विभाग।

09/08/2023.

Scanned with OKEN Scanner